



छत्तीसगढ़ शासन
वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन,
नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़

क. 1853/2020
प्रति,

नवा रायपुर दिनांक 16/04/2020

1. समस्त संभागायुक्त, छ.ग.
2. समस्त मुख्य वन संरक्षक, छ.ग.
3. समस्त जिलाध्यक्ष, छ.ग.
4. समस्त वन मंडलाधिकारी, छ.ग.

विषय:- कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लाकडाऊन का दौरान लघु वनोपज संग्रहण, प्रसंस्करण, परिवहन तथा भंडारण में अति आवश्यक कार्य हेतु न्यूनतम श्रमिकों / ग्रामीणों को कार्य करने की अनुमति देने तथा परिवहन, भंडारण सेवा शर्तों के अधीन चालू रखने बाबत।

संदर्भ:-छ.ग. शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक 1817/802/2020/10-2 दिनांक 03.04.2020

--00--

उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना अन्तर्गत स्व-सहायता समूहों के माध्यम से लघु वनोपज संग्रहण के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। इस तारतम्य में यह स्पष्ट किया जाता है कि अगर कोई व्यापारी लघु वनोपज न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक दर पर क्रय करता है तो संदर्भ पत्र में जो निर्देश दिये गये हैं उससे व्यापारी को वनोपज क्रय करने हेतु कोई प्रतिबंधित नहीं किया गया है। अतः संग्राहक अपने वनोपज अधिक दर पर किसी को भी विक्रय करने के लिए स्वतंत्र है। कृपया तदनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(मनोज कुमार पिंगुवा)

प्रमुख सचिव

छ.ग. शासन, वन विभाग

नवा रायपुर दिनांक 16/04/2020

पृ.क्रमांक 1854/2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, सेक्टर - 24, वन धन भवन, नवा रायपुर अटल नगर।

प्रमुख सचिव

छ.ग. शासन, वन विभाग